

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक 22(1) न्याय / 19

जयपुर दिनांक 14.06.2019


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधि सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं :-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती / सुश्री)	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन	विशेष विवरण
1.	हरिराम पुरोहित	संयुक्त विधि परामर्शी कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी कार्मिक (क-3/जांच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	यथावत
2.	नरेन्द्र कुमार आर्य	उप विधि परामर्शी, मुख्य अभियंता, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी जिला कलेक्टर कार्यालय जयपुर	यथावत
3.	काशीराम	उप विधि परामर्शी विधि वादकरण क्रिमिनल सैल, सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	चिमन सिंह के स्थान पर
4.	चिमन सिंह	उप विधि परामर्शी कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी विधि वादकरण क्रिमिनल सैल, सचिवालय, जयपुर	काशीराम के स्थान पर
5.	महेश कुमार गोयल	उप विधि परामर्शी जिला कलेक्टर कार्यालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	उप विधि परामर्शी, कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	यथावत
6.	श्याम सुन्दर व्यास	उप विधि परामर्शी, कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव (विधायी प्रारूपण), शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी, कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक	रिक्त पद पर
7.	सुबान खान सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	यथावत
8.	चंद्रशेखर गौड़ सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी मुख्य अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।	यथावत

*[Handwritten Signature]*  
14-6-19

9.	गजेन्द्र सिंह	उप विधि परामर्शी (आदेशों की प्रतीक्षा में)	उप विधि परामर्शी खान विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
10.	अनुरीता शर्मा	सहायक विधि परामर्शी आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी कार्मिक (क-3) जाँच, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
11.	आलोक कुमार आर्य सहायक विधि परामर्शी	उप विधि परामर्शी, कार्यालय विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (स्थानान्तरणाधीन)	सहायक विधि परामर्शी विधि (सिविल) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	यथावत
12.	मनमोहन चूनवाल	सहायक विधि परामर्शी, निदेशालय पशुपालन, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	रिक्त पद पर
13.	मोहन लाल गुप्ता सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	उप विधि परामर्शी मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जयपुर	उप विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध
14.	शंकर सिंह देवड़ा सहायक विधि परामर्शी	सहायक विधि परामर्शी, निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	उप विधि परामर्शी नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर	उप विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध
15.	कल्पना शर्मा वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी, संस्कृत शिक्षा विभाग सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, विधि वादकरण प्रकोष्ठ-4 क्रिमिनल सैल सचिवालय, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध
16.	गजेन्द्र सिंह जाट (चौधरी) वरिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी, आयुक्त, परिवहन विभाग, जयपुर	सहायक विधि परामर्शी के रिक्त पद के विरुद्ध
17.	यासिर अराफात	कनिष्ठ विधि अधिकारी, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय जिला कलेक्टर, जयपुर	रिक्त पद पर
18.	मनोज कुमार	कनिष्ठ विधि अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय धौलपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर	रिक्त पद पर

आज्ञा से  
  
14.6.23  
(मधुसूदन शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के क्रम में संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
4. उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि वे इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्य मुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।
5. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव